## न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 07 / 2014**

**RCMS No. 2014/00173**

**अपीलाण्टः–**

हरिराम पुत्र सुजाराम जाति सीरवी निवासी धीनावास तहसील सोजत

**बनाम**

**रेस्पोडेन्ट्स**

1. वोराराम
2. गिरधारीराम
3. लकाराम
4. पताराम पि0 मगाराम
5. शांतिदेवी पत्नी भूराराम
6. ओमप्रकाश पुत्र भूराराम
7. रामलाल पुत्र भूराराम
8. सुशीला पुत्री भूराराम
9. मन्जूदेवी पुत्री भूराराम कुदरती वली माता शांतिदेवी पत्नी भूराराम जाति सीरवी
10. कुकी पत्नी खीवाराम
11. देवाराम पुत्र खीवाराम
12. मूलीदेवी पत्नी चौथाराम
13. भूराराम पुत्र चौथाराम
14. बाबूलाल पुत्र चौथाराम
15. सिलाईदेवी पत्नी पन्नाराम
16. हीरालाल पुत्र पनाराम
17. बीजाराम पुत्र वालाराम
18. पुखली बेवा पूनाराम
19. विदकी पुत्री केसाराम
20. जमनाई. पत्नी पुखाराम
21. छैलाराम पुत्र हेमाराम
22. मुगनाई पत्नी हेमाराम जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा अटेकावणिया तहसील सोजत जिला पाली
23. सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास तहसील सोजत जिला पाली

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थिति –**

श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट

श्री महेश नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 22

अति० जिला कलेक्टर, पाली

**–: निर्णय :–**

दिनांकः– 27/2/2018

अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर प्रकरण संख्या 1/2011 वोराराम बनाम हरिराम वगैरा में ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 को अपास्त कराने का निवेदन किया। इस पर अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 24.08.2011 को तहसीलदार सोजत के समक्ष अपीलाण्ट के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 404, 405, 406, 407, 408 एवं 604 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 6.2100 हैक्टेयर होना बताया, जिसमें एक कुंआ खोदा हुआ भी बताया है, जिस पर सौ वर्षो से अधिक समय से निवास करना बताया है। खसरा न्मबर 409 के पूर्वी दिशा में से होकर ए0 से बी0 व बी0 से सी0 बिन्दु से रास्ता होना बताया, जो अपीलाण्ट द्वारा बन्द किया जाना बताते हुए उक्त रास्ते को खुलवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सोजत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 24.08.2011 को ग्राम पंचायत धीनावास को सुनवाई हेतु भेजा गया, जो प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा दिनांक 30.08.2011 को दर्ज किया गया तथा दिनांक 05.12.2011 को सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा विधि विरूद्ध तरीके से अपने क्षैत्राधिकार से परे जाते हुए आदेश पारित किया। उक्त आदेश की जानकारी तब हुई, जब रेस्पोडेन्ट द्वारा एक सिविल वाद श्रीमान सिविल न्यायाधीश महोदय, सोजत में पेश किया। इस पर अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पंचायत द्वारा आवेदन का निपटारा 45 दिन की अवधि के भीतर – भीतर करना होता है तथा प्रकरण दर्ज से लेकर 45 दिन ही ग्राम पंचायत की अधिकारिता सुनवाई करने की है। यदि सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन के भीतर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जाता है, तो ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आवेदन को तहसीलदार को तुरन्त वापस भिजवा दिया जाना था। इस प्रकरण में आवेदन दिनांक 30.08.2011 को ग्राम पंचायत में सुनवाई हेतु दर्ज किया गया, जिसकी दायर संख्या 1/2011 है तथा सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा दिनांक 05.12.2011 को आदेश पारित किया गया है, जबकि दिनांक 05.12.2011 को आदेश पारित करना पंचायत की अधिकारिता में ही नहीं था। इस कारण जैर अपील आदेश आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा मौका निरीक्षण किए बिना ही जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। रेस्पोडेन्ट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 404 से 408 एक ही चक में स्थित है, जो कृषि भूमि खसरा नम्बर 552 किस्म गै0मु0 रास्ता, जो ग्राम धीनावास से अजीतपुरा जाने वाली सड़क से जुडा हुआ है। इस प्रकार अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 409 में से नया रास्ता कायम करने

अति० जिला कलेक्टर, पाली

का ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। अपीलाण्ट ने दिनांक 12.09.2011 को अपने जवाब के रूप में सरपंच ग्राम पंचायत की बैठक में दिया गया था, उक्त आवेदन पत्र के सम्बन्ध में सरपंच ग्राम पंचायत धीनवास ने पक्षपात रवैया अपनाते हुए यह लिखा है कि हरिराम ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर एक अंगुष्ठ निशान लगा हुआ था, किन्तु अंगुष्ठ निशान के नीचे यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि उक्त अंगुष्ठ निशान किस व्यक्ति का है। इस स्थिति में प्रार्थना पत्र को रेकर्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। यह लिखते हुए ग्राम पंचायत ने हरिराम के विरूद्ध एकतरफा आदेश पारित किया है, जबकि उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं हरिराम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जिसे नहीं मानने का कोई ठोस कारण नहीं था। विधि अनुसार पक्षकार को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाना न्यायोचित होता है। सरपंच ग्राम पंचायत धीनवास द्वारा पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए आदेश पारित किया है, जो अपास्त योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से परे जाते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम धीनवास के खसरा न्मबर 404 से 408 व 604 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 6.2100 हैक्टेयर की भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 22 की सह खातेदारी के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। रेस्पोडेन्ट उक्त भूमि में आवागमन हेतु खसरा नमबर 409 की भूमि का उपयोग उपभोग कदीम से करते आ रहे है। अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम आवंटन/नियमन करवा कर राजस्व रेकर्ड में अपना नाम बतौर खातेदार दर्ज करवा दिया तथा उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर रेस्पोडेन्ट्स का कदीमी रास्ते के अवरूद्ध कर दिया। इस पर रेस्पोडेन्ट्स द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार सोजत द्वारा विधिवत कार्यवाही हेतु सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास को प्रेषित किया। सरपंच ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मौका निरीक्षण कर, पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर, गवाहों के बयान कलमबद्ध करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार से प्रक्रिया का दुरूपयोग नहीं किया है। अपीलाण्ट द्वारा देरीना अपनी प्रस्तुत की है, जो म्याद बाहर होने से भी खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट वोराराम वगैरा द्वारा अपीलाण्ट हरिराम के विरूद्ध दिनांक 24.08.2011 को तहसीलदार सोजत के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि खसर नम्बर 409 में से कदीमी से सुचारू रास्ते से अवरोध हटा कर रास्ता खुला करवाने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार सोजत द्वारा इसी दिनांक को प्रकरण ग्राम पंचायत धीनावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। इस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

08.2011 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा पत्रावली दिनांक 20.09.2011 को नियत करने के आदेश पारित किए। दिनांक 20.09.2011 को हरीराम को जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त होने एवं हरीराम अथवा उसका प्रतिनिधी उपस्थित नहीं होना अंकित किया, साथ ही यह भी अंकित किया कि "दिनांक 12.09.2011 को हरीराम ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर एक अंगुठा लगा हुआ है, लेकिन अंगुठा निशान के नीचे यह नहीं लिखा है कि निशान किसका है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना पत्र रेकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है तथा हरीराम आज वक्त बेठक उपस्थित नहीं होने के कारण उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की जाती है।" इसके पश्चात मौका निरीक्षण हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी मनोनीत की गई एवं पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड एवं विवादग्रस्त स्थल एवं मौके पर चल रहे रास्ते बाबत वास्तविक रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया। उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 01.10.2011 को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि नजरी नक्शे में बिन्दु संख्या ए व बी के मध्य खसरा नम्बर 409 में खसरा नमबर 410 के सहारे सहारे मौके पर रास्ता मौजूद है, उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। खसरा नम्बर 409 में सोनामुखी की फसल है। कमेटी द्वारा जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें भी खसरा नम्बर 409 में से रास्ता मौके पर मौजूद होना तथा रास्ते के दोनो तरफ धोरापाली लगे होना अंकित किया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 05.10.2011 को प्रस्तुत होने पर प्रार्थीगण को अपना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात बैठक दिनांक 05.11.2011 को प्रार्थी ने गवाह भूण्डाराम सीरवी, पाबुराम देवासी, नारायणलाल सीरवी, खेताराम सीरवी एवं ईन्दाराम सीरवी के बयान कलमबद्ध करवाए। इसी दिनांक को हरीराम को अपना साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पत्रावली आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात गैठक दिनांक 21.11.2011 को अप्रार्थी हरीराम को बार–बार आवाजे लगवाने के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली निर्णय हेतु आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात दिनांक 05.12.2011 को जैर अपील आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 409 में से पूर्व दिशा की ओर 20' चौडा एवं 100' लम्बा रास्ता कायम करने के आदेश पारित किए एंव अपीलाण्ट को पाबन्द किया गया कि प्रार्थीगण एवं उनके वाहन, मवेशी के आने जाने में रूकवाट पैदा नहीं करें। जहां तक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 का प्रश्न है, तो उसमें अधिकारिता के सम्बन्ध में यह प्रावधित किया गया है कि भू धारक में मार्ग संबंधी अधिकार या अन्य किसी सुखाचार या अधिकार के वास्तविक उपभोग में कोई विघ्न हो, तो उसे हटाने के लिए आवेदन का निपटारा करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, जो आवेदन प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर निपटारा करेगी। 45 दिन के बाद उसका निपटारा करने की अधिकारिता तहसीलदार को होगी। हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा मुख्य रूप से यह आधार लिया गया है कि पंचायत द्वारा 45 दिवस की अवधि व्यतीत होने के पश्चात उक्त आदेश पारित किया गया है। यह एक त्रुटी अवश्य है, किन्तु मातहत अदालत के मध्य जो साक्ष्य परिक्षित हुए है, उन्होने अपने बयानों अपीलाण्ट की भूमि में से रास्ता मौके पर मौजूद होना तथा उसे बन्द किया जाना जाहिर किया है,

अति० जिला कलक्टर, पाली

इस तथ्य की ताईद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का की मौका जांच रिपोर्ट से होती है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट्स की भूमि में आवागमन में बाधा कारित की है। हालांकि पंचायत द्वारा अपने परिसीमित समय के भीतर आदेश पारित नहीं किया है, जिसके कारण आदेश तकनीकि रूप से त्रुटीपूर्ण है, जिसे समर्थन नहीं दिया जा सकता है, किन्तु इसकी आड में यदि अपीलाण्ट मौके पर उपलब्ध रास्ते की बन्द करते है अथवा अवरूद्ध करते है, तो निश्चय ही रेस्पोडेन्ट के हितों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर इस रूप में निर्णित की जाती है कि प्रकरण संख्या 1/2011 वोराराम बनाम हरिराम वगैरा में ग्राम पंचायत धीनावास द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 को अपास्त किया जाता है। चूंकि जैर अपील वादस्थ भूमि पर रेस्पोडेन्ट्स के आवागमन का रास्ता सिद्ध हुआ है, अतः अपीलाण्ट को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त रास्ते को किसी प्रकार से बन्द अथवा अवरूद्ध नहीं करें एवं आमजन के आवागमन के लिए खुला रखे। साथ ही तहसीलदार सोजत उक्त रास्ते को आमजन के आवागमन हेतु खुला रखवाना सुनिश्चित करें। हितबद्ध/प्रभावित व्यक्ति सक्षम न्यायालय के तहत विधिवत अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतन्त्र है। तद्नुसार इस निर्णय की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार सोजत को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/2/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति० जिला कलक्टर, पाली